# न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 74 / 2020
दायर दिनांक :– 09.10.2020

अनवान

1. धर्मराज पिता फुन्दीलाल रेगर नि. ईटुन्दा तह. जहाजपुर
2. बाबूलाल पिता फुन्दीलाल रेगर नि. ईटुन्दा तह. जहाजपुर

वादीगण.........

बनाम

1. बरदा पिता गंगाराम रेगर नि. ईटुन्दा तह. जहाजपुर
2. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण......

**:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आर. टी. ए. ::**

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री अखलाक खान, वकील वादीगण

**:: निर्णय ::** दिनांक 30.05.2022

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ईटुन्दा प0 ह0 ईटुन्दा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 1116, 1524, 1868 कुल किता 03 रकबा 09–11 बीघा कृषि भूमि वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी सं. 1 अपराधिक प्रवृत्ति के खुखांर व्यक्ति है जिनका वादीगण की कृषि भूमि में वर्णित भूमि से कोई लेना देना नही हैं प्रतिवादी सं. 1 धन सम्पन्न राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है। जबकि वादीगण गरीब काश्तकार है जो कि बाहर गांव मजदूरी करने व कमा खाने चले जाते हैं जिससे वादीगण की खातेदारी भूमि को प्रतिवादी सं. 1 हड़पने की नियत रखता हैं प्रतिवादीगण ने पूर्व में वादीगण की खातेदारी भूमि को हड़पने की नियत से भूमि कम ज्यादा बताकर कब्जा करने की धमकी दी व आ. न. 1868 रकबा 1.04 बीघा के कुछ हिस्से पर जबरन कब्जा भी कर लिया था, तब वादीगण की माता श्रीमति मन्नी देवी ने श्रीमान आप के न्यायालय में प्रतिवादी का अवैध कब्जा हटवाये जाने का वाद पेश किया था। किन्तु दौराने वाद ही प्रतिवादी बरदा ने अपना कब्जा वादीगण की खातेदारी भूमि से हटा लिया किन्तु वर्ष 2019 में प्रतिवादी बरदा ने वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि आ. सं. 1868 रकबा 1–04 बीघा पर जबरन पुनः कब्जा बना लिया। व प्रतिवादी बरदा ने कहा कि तुम अपनी जमीन की पत्थरगढी करवा लो, तब यदि गिरदावर साहब जमीन तुम्हारी सीमा की बता देंगे, तो मै कब्जा हटा दुंगा। वादी ने अपनी भूमि की सीमा की जानकारी हेतु व विवाद के स्थाई समाधान हेतु न्यायालय श्रीमान आप के समक्ष पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रकरण सं.

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)



Scanned with CamScanner

155/19 पेश कर दिनांक 17.02.2020 को पत्थरगढी आदेश प्राप्त किया व उक्त आदेश की अनुपालना में दिनांक 16.06.2020 को राजस्व अधिकारी गिरदावर एंव पटवारी मौके पर आये व वादी की भूमि की पत्थरगढी की एवं स्थाई सीमा चिन्हो के पत्थर गाढे। जिसमें की वादी की भूमि आराजी सं. 1868 पर प्रतिवादी बरदा रेगर का अवैध कब्जा होना जाहीर हुआ। वादीगण ने प्रतिवादी से इसका अवैध कब्जा छोडकर वादीगण को भूमिका कब्जा सिपूर्द करने की कहा तो इसने कब्जा नहीं हटाया व जबरन शक्ति के बल पर वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि आ.सं. 1868 को जून 2022 मे पुनः हांक कर कब्जा यथावत रखा। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि आ.सं. 1868 से प्रतिवादी बरदा रेगर का जबरन बनाया कब्जा हटवाकर एवं प्रतिवादी बरदा रेगर को बेदखल करा स्वंय कब्जा प्राप्त करना चाहते हैं एवं अपनी खतोदारी कृषि भूमि पर अपने शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नही करने बाबत प्रतिवादी बरदा रेगर को स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी से पावन्द कराना चाहते है। दिनांक 16.06.2020 से वादीगण की खातेदारी भूमि आराजी सं. 1868 की पत्थरगढी किये जाने पर प्रतिवादी बरदा रेगर का अवैध कब्जा होना जाहिर होने से व वादीगण द्वारा प्रतिवादी बरदा रेगर को कब्जा छोडने की कहने पर उसके द्वारा कब्जा छोडने से मना करने व वादीगण की खातेदारी भूमि आराजी सं. 1868 को प्रतिवादी बरदा द्वारा जून 2020 में ही पुनः जबरन हांक कर कब्जा यथावत बनाये रखने के कारण वादीगण को दिनांक 16.06.2020 से वाद हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादीगण की खातेदारी भूमि पैरा सं. 1 में वर्णित वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि आ. सं. 1868 रकबा 1–04 बीघा से प्रतिवादी बरदा रेगर का जबरन बनाया कब्जा हटवाकर प्रतिवादी बरदा रेगर को बेदखल करा, भूमि का कब्जा वादीगण को दिलाये जाने की घोषणात्मक डिकी वादीगण के पक्ष में पारित की जावें एवं बाद कब्जा वादीगण को दिलाने पर प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त में बाधा न डाले, न डलवावे की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण के आदेश प्रदान किये जाने की मांग की।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी कि गई। प्रतिवादीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादीगण ने वादपत्र की ताईद में खाता सं. 154 नकल जमाबन्दी सवंत 2072 से 2075 की प्रति प्रदर्श 1, दिनांक 16.06.2020 को कराई गई पत्थरगढी का मौका पर्चा प्रदर्श 2 है जो शामिल फाईल है। एवं ब्यान गवाह में स्वंय वादी धर्मराज रेगर पी. डब्ल्यु 1, हरिशचन्द्र रेगर पी. डब्ल्यु 2, शिवलाल कुम्हार पी. डब्ल्यु 3 के ब्यान करवाये गये, जिसे शा0 फा0 किया गया।

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण बहस के दौरान बताया कि वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादीगण की खातेदारी भूमि पैरा सं. 1 में वर्णित से प्रतिवादी सं 1 का जबरन बनाया अवैध कब्जा हटवाकर एवं प्रतिवादी. 1 को बेदखल करा पेरा सं. 1 में वर्णित भूमि का कब्जा वादीगण को दिलाये जाने की घोषणात्मक डिक्री वादीगण के पक्ष में पारित की जावें एवं बाद कब्जा वादीगण को दिलाने पर प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त में बाधा न डाले, न डलवावे की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण के आदेश प्रदान किये हेतु निवेदन किया गया।

मैने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी नकल सम्वत 2072–75 प्रदर्श 1 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं. 1116, 1524, 1868 कुल किता 03 रकबा 09–11 बीघा कृषि भुमि वादीगण के नाम दर्ज है। आ0 स0 1868 रकबा 1–04 बीघा भू भाग पर प्रतिवादी सं. 1 ने मौके पर कब्जा कर लिया है, जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा प्रदर्श 2 से होती है। प्रतिवादी सं. 1 उक्त भूमि पर अतिचारी है, जिन्होनें बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के वादीगण की भूमि पर कब्जा कर लिया है। अतः वादीगण अपनी भूमि से प्रतिवादी सं. 1 को बेदखल कराने का अधिकार रखते है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण की खातेदारी भुमि पर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा कब्जा कर लेने से वादीगण कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। उपरोक्तानुसार न्यायालय वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम ईटुन्दा प0 ह0 ईटुन्दा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 1116, 1524, 1868 कुल किता 03 रकबा 09–11 बीघा में से आ0 स0 1868 रकबा 1–04 बीघा में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा किये गये कब्जे से प्रतिवादी सं. 1 को बेदखल कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रतिवादी सं. 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उपरोक्त विवादित आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक .05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( दामोदर सिंह )
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

# डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत – सहायक कलक्टर मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)**
**ब ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस**

अनवान

1. धर्मराज पिता फुन्दीलाल रेगर नि. ईटुन्दा तह. जहाजपुर
2. बाबूलाल पिता फुन्दीलाल रेगर नि. ईटुन्दा तह. जहाजपुर

वादीगण.....

बनाम

1. बरदा पिता गंगाराम रेगर नि. ईटुन्दा तह. जहाजपुर
2. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत – 183, 188 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :– 74/2020

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री अखलाक खान का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम ईटुन्दा प0 ह0 ईटुन्दा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 1116, 1524, 1868 कुल किता 03 रकबा 09–11 बीघा में से आ0 स0 1868 रकबा 1–04 बीघा में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा किये गये कब्जे से प्रतिवादी सं. 1 को बेदखल कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रतिवादी सं. 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उपरोक्त विवादित आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.05.2022

मुहर

( दामोदर सिंह )
सहायक कलेक्टर,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner